संख्या– 80 /II-2018-14(05)/2005

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 22 जनवरी, 2018

विषयः– **राज्य योजना के अन्तर्गत आर्टिजन कूपों के निर्माण हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि लघु सिंचाई विभाग को आवंटित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1118/ल0सि0 दिनांक 06 अगस्त, 2017 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य योजनान्तर्गत आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि लघु सिंचाई विभाग को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में जल उपभोक्ता समूह के माध्यम से सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्याः 338/II–2004/2005, दिनांक 31.3.2005 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना के अन्तर्गत आर्टीजन कूपों के निर्माण मद हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि शासन द्वारा लघु सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित की जायेगी, लघु सिंचाई विभाग हेतु स्थानान्तरित की जानी वाली धनराशि के लिए वित्तीय नियम संग्रह, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं इसमें समय–समय पर किये गये संशोधन सम्बन्धित प्राविधान लागू होंगे।

3– शासनादेश संख्याः 338/II–2004/2005, दिनांक 31.3.2005 की अन्य शर्ते/प्राविधान यथावत रहेंगे।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 80 /II-2018-014(05)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. उप सलाहकार, लघु सिंचाई योजना, भारत सरकार।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

zzD:\Sanjeev\Draft 2016.doc

6. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
उप सचिव।